कार्यालय – सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल

पत्रांक – उ0वि0शि0प0 / सन्निरीक्षा / 01–09 / 2025–26 दिनांक : 19 अप्रैल 2025

विज्ञप्ति / सूचना

1.सन्निरीक्षा हेतु

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाता है कि परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त यदि कोई परीक्षार्थी अपने किसी विषय / प्रश्न–पत्र की उत्तरपुस्तिका की सन्निरीक्षा कराना चाहते हैं तो वे सन्निरीक्षा शुल्क रुपया 100=00 प्रति प्रश्नपत्र की दर से कोष–पत्र (ई–चालान) के माध्यम से उत्तराखण्ड के किसी भी राजकोष / भारतीय स्टेट बैंक में सुसंगत लेखाशीर्षक (0202 –शिक्षा ,खेल, कला और संस्कृति, 01 –सामान्य शिक्षा ,102 –माध्यमिक शिक्षा ,02 –बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क) के खाते में जमा कर, कोष –पत्र (चालान) की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति **(इण्टरनेट प्रति भी मान्य)** सहित अपना सन्निरीक्षा आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय में ऑनलाइन या आफलाइन प्रेषित करें। सन्निरीक्षा आवेदन –पत्र समस्त संलग्नकों सहित परीक्षाफल परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अर्थात 18 मई 2025 तक परिषद् कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य हैं। निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त सन्निरीक्षा आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। परीक्षार्थी सन्निरीक्षा आवेदन पत्र अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते है। आफलाइन सन्निरीक्षा आवेदन पत्र एवं निर्देश परिषद् कार्यालय की वेवसाइट **www.ubse.uk.gov.in** से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सन्निरीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट **www.ubse.co.in** पर उपलब्ध लिंक "Apply for Scrutiny and Photocopy of Answer Books" के द्वारा किए जा सकते हैं।

2.मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति हेतु

जिन परीक्षार्थियों को अपनी वर्ष 2025 की परीक्षा की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करनी हो वे निर्धारित शुल्क रूपया 400=00 (रूपया चार सौ) प्रति प्रश्नपत्र की दर से उपरोक्तानुसार सुसंगत लेखाशीर्षक (0202 –शिक्षा ,खेल, कला और संस्कृति, 01 –सामान्य शिक्षा ,102 –माध्यमिक शिक्षा ,02 –बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क) के खाते में जमा कर कोष –पत्र (ई–चालान) की मूल प्रति, अंक पत्र की छाया प्रति **(इण्टरनेट प्रति भी मान्य)** एवं आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित) सहित अपना आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय में ऑनलाइन या आफलाइन प्रेषित कर मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इससे सम्बन्धित आवेदन पत्र एवं निर्देश परिषद् की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट **www.ubse.co.in** पर उपलब्ध "Apply for Scrutiny and Photocopy of Answer Books" लिंक के द्वारा किए जा सकते हैं।

शुल्क की धनराशि सही लेखा शीर्षक में जमा न होने पर आवेदन पत्र बिना सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

पृ0सं0 :– उ0वि0शि0प0 / सन्निरीक्षा / 01–09 / 2025–26 दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि –1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड / सभापति,,उ0वि0शि0प0,रामनगर को सूचनार्थ।

2. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संस्थाध्यक्ष द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी सूचना सम्प्रेषण अनुभाग उ0वि0शि0प0 रामनगर (नैनीताल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, उत्तर उजाला, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र (कुमाऊँ / गढ़वाल संस्करण) में 10X12 से0मी0 आकार में निर्धारित शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में तथा समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओ की मूल्याकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु निर्देश

1. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में आफलाइन आवेदन करना होगा।
2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217XXIV 52013 2(17)2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु रूपया 400.00प्रति प्रश्न पत्र शुल्क का निर्धारण किया गया है। अतः मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक 0202– शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, 01–सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क में प्रति प्रश्न पत्र रूपया 400.00 की दर से ट्रेजरी चालान (ई–चालान) लगाना होगा।
3. परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रूपया 400.00प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति, अंक पत्र की छाया प्रति (इण्टरनेट प्रति भी मान्य) एवं आधार कार्ड की छाया प्रति (स्वप्रमाणित) सहित संलग्न कर स्वयं अथवा डाक द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त प्रेषित करना होगा।
4. उपरोक्त संलग्नकों के ना होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जाएंगे। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
5. उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के प्राप्त होने के पश्चात यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिया जाता है तो उस पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16ङ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें उल्लिखित किया गया है कि सन्निरीक्षा का तात्पर्य उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन नहीं है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों का योग करने उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुर्टि नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा, परन्तु यह कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर शून्य अंक दिये गये हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुर्नमूल्यांकन कराया जायेगा।
6. उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का कोई व्यवसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा।
7. परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के छः माह अथवा सन्निरीक्षाफल घोषणा के उपरान्त विनिष्ट कर दी जाती है। विनिष्टीकरण के उपरान्त उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति चाहने हेतु किये गये किसी भी प्रार्थना पत्र पर बिचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
8. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्य क्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल होगा।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर(नैनीताल)

सन्निरीक्षा के नियम

1. शुल्क सन्निरीक्षा–रू0 100/– सन्निरीक्षा–शुल्क विषय के प्रति प्रश्न–पत्र की दर से जमा कर मूल कोष–पत्र के साथ निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर कोई भी परीक्षार्थी चाहे वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अनुत्तीर्ण, अपने प्राप्तांको का सन्निरीक्षण करा सकता है। यह शुल्क बालकों एवं बालिकाओं के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी चाहे उसने केवल एक ही विषय में परीक्षा दी हों अथवा समस्त विषयों में, सभी के लिए समान है। शुल्क को उत्तराखण्ड के किसी भी राजकोष में 0202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01– सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02– बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क के खाते में जमा करना चाहिए। कोष–पत्र (चालान) को संस्थागत परीक्षार्थी, संस्था के प्रधानाचार्य से एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी, केन्द्र– व्यवस्थापक से सत्यापित करा लें।

सन्निरीक्षा हेतु आवेदन–पत्र के साथ राजकीय कोष–पत्र की मूल प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें और उसे परीक्षाफल प्रकाशित होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय में अवश्य भेज दें। उत्तराखण्ड के बाहर से आवेदन पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों को सचिव/कार्यालय में रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया की रामनगर (नैनीताल) शाखा पर देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अपना सन्निरीक्षा शुल्क भेजना चाहिए।

परीक्षाफल प्रकाशन से 30 दिन के उपरान्त प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और विलम्ब हेतु किसी प्रकार का तर्क (जैसे नियम अनभिज्ञता, अंक–चिट की अप्राप्ति, बीमारी आदि) मान्य नहीं होगा।

2. सन्निरीक्षा के कार्य में परीक्षार्थी की उत्तर–पुस्तकों की गुण जॉच सम्मिलित नहीं है। इसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिए गए अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने तथा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर–पुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा, परन्तु यह कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर–पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर शून्य अंक दिये गये हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुर्नमूल्यांकन कराया जायेगा।

3. सन्निरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त प्रकरणों का परीक्षाफल, जहॉ उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पडता है (अंक तथा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण) सन्निरीक्षा की समाप्ति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाचार्य/केन्द्र–व्यवस्थापक को तत्काल भेज दिया जाता है।

4. सन्निरीक्षा के समस्त कार्य गोपनीय होते हैं। मूल्यांकन की हुई उत्तर–पुस्तकें एवं अंक–चिटें गोपनीय अभिलेख है। अतः उन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक आदि को नहीं दिखाया जा सकता। उत्तर–पुस्तिकाओं की एक बार सन्निरीक्षा हो जाने पर पुनः सन्निरीक्षा नहीं होगी। अंकों का पुनः मूल्यांकन सम्भव नहीं है। इन विषयों पर पूछ–ताछ करने पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। सन्निरीक्षा के परीक्षाफल के लिए कृपया 28 फरबरी के पूर्व पत्र–व्यवहार ना करें, क्योंकि उक्त तिथि से पूर्व आए हुए पत्रों का उत्तर देना सम्भव नहीं हो सकेगा।

5. उत्तर–पुस्तकों के सन्निरीक्षा कार्य में नवम्बर के अन्त तक का समय लग सकता है। सन्निरीक्षा के फलस्वरूप बहुत थोडे ही परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि सन्निरीक्षा परीक्षाफल की प्रतीक्षा ना करें। यदि वे परिषद् की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का विचार करते हैं तो उसके लिए आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें या विद्यालयल में प्रवेश ले लें। सन्निरीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहना उचित नहीं है। जिन परीक्षार्थियों को कृपांक मिलने से उत्तीर्ण अथवा योग वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रेणी परिवर्तन की आशा है, उन्हें उन सभी विषयों की सन्निरीक्षा कराना हितकर होगा, जिनमें वे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। स्मरण रहे कि सन्निरीक्षा शुल्क रू0 100/– विषय के प्रति प्रश्न–पत्र की दर से जमा कराना होगा। जिस विषय की सन्निरीक्षा करानी हो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

6. जो परीक्षार्थी सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे, वे यदि सन्निरीक्षाफल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके होंगे तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारम्भ हुआ माना जायेगा।

7. ऑफलाइन आवेदन–पत्र के साथ एक सादा लिफाफा, पते सहित (जिस पते पर परीक्षार्थी सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा हो।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर(नैनीताल)

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओ की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्देश

1– परीक्षार्थी का नाम..

2– माता का नाम..

3– पिता का नाम..

4– कक्षा तथा वर्ष..

5– अनुक्रमांक..

परीक्षार्थी का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

6– विषय (जिसकी उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करनी है)

1 – ....

2 – ....

3 – ....

4 – ....

5 – ....

6 – ....

7– पत्र व्यवहार का पता– ....
....
....मोबाइल नं0..

आधार संख्या..

8– शुल्क का विवरण

चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि

संलग्नकः–

1– चालान की मूल प्रति
2–अंक पत्र की छाया प्रति (इण्टरनेट प्रति भी मान्य)
3– आधार कार्ड की छाया प्रति (स्वप्रमाणित)

मैं.. पुत्र/पुत्री श्री .... सत्यनिष्ठा से यह घोषण करता /करती हूँ कि मैं परिषद् से प्राप्त अपनी उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्रावधानों का पालन करूंगा/करूँगी तथा उक्त उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किये जाने हेतु उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर–

नाम–

दिनांक–

हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2025

केवल इस पत्र को सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष–पत्र सहित प्रेषित करें। बिना कोष–पत्र के कोई आवेदन पत्र स्वीकार न होगा।

(परीक्षार्थी द्वारा साफ–साफ सभी प्रविष्टियों को पूरा भरा जाय)

(हाईस्कूल अथवा इण्टर स्पष्ट रूप में अंकित करें)

परीक्षा का नाम

(अंकों में)

अनुक्रमांक {

(शब्दों में)

सन्निरीक्षा के लिए आवेदन–पत्र

सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष–पत्र की मूल प्रति / ई–चालान सहित परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त हो जाय। सन्निरीक्षा–शुल्क बैंक ड्राफ्ट व पोस्टल–ऑर्डर के रूप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे और ऐसे आवेदन–पत्र निरस्त समझे जायेंगे। सन्निरीक्षा–शुल्क रू0 100/– विषय प्रति प्रश्न–पत्र निर्धारित हैं।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
कार्यालय रामनगर (नैनीताल)।

महोदय,

मैं अपनी उत्तर–पुस्तकों के अंकों की सन्निरीक्षा, परिषद् के अध्याय–12, विनियम–16 एवं इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर मुद्रित सन्निरीक्षा के नियमों एवं विषयों के अन्तर्गत कराना चाहता हूँ:–

1. परीक्षार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)
2. अनुक्रमांक (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)
3. विद्यालय का नाम
4. रू0 .... कोष पत्र संख्या .... दिनांक..........
   राजकोष .... में जमा किया।

(सन्निरीक्षा के विषय यहाँ अंकित करें)

5. विषय का नाम जिसमें सन्निरीक्षा करानी है

1.	4.
2.	5.
3.	6.

6. पूरा पता –
   आधार स0–   मोबाइल न0–

दिनांक 202......

भवदीय
प्रार्थी का हस्ताक्षर